संख्या-9/2016/ए-1-651/दस-2016-10(51)/2015

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 **लखनऊ दिनांक - 25 जुलाई, 2016**

विषय :- सभी रेमिटेन्स विभाग (पी.डब्लू.डी., सिंचाई, वन, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग) खाद्य एवं रसद विभाग तथा पी0एल0ए0 में ई-पेमेण्ट लागू किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कोषागारों में पी.डब्लू.डी., सिंचाई, वन, लघु सिंचाई आदि रेमिटेन्स विभागों के वित्त नियंत्रकों द्वारा सी.सी.एल. जारी की जाती है, जिसके आधार पर कोषागारों द्वारा डिवीजनवार सी.सी.एल. की कैश क्रेडिट **limit** सम्बन्धित राजकीय व्यवसाय हेतु अधिकृत बैंक को सूचित कर दी जाती है तथा इस साख-सीमा के अन्तर्गत इन विभागों द्वारा चेक निर्गत कर सीधे बैंकों से भुगतान लाभार्थी को सुनिश्चित किया जाता है। इसी प्रकार रेमिटेन्स विभागों द्वारा डी0सी0एल0 से सम्बन्धित चेक भी निर्गत कर लाभार्थी को उपलब्ध कराया जाता है, जिसका भुगतान बैंक से उनके द्वारा प्राप्त किया जाता है। खाद्य एवं रसद विभाग में भी यही व्यवस्था प्रचलित है। इस व्यवस्था में रेमिटेन्स विभागों द्वारा निर्गत सी.सी.एल. एवं डी.सी.एल. तथा खाद्य एवं रसद विभाग के चेक कोषागारों में भुगतान के पूर्व प्रस्तुत नहीं होते हैं बल्कि बैंकों द्वारा भुगतान के उपरान्त भुगतानित चेक को स्क्राल के साथ संलग्न कर लेखे बनाने हेतु कोषागारों को प्रेषित किया जाता है। पी.एल.ए. के भुगतानों में पी.एल.ए. होल्डर द्वारा चेक कोषागारों से पारित कराकर लाभार्थी को भुगतान सुनिश्चित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि शासन की वर्तमान नीति के अनुसार समस्त भुगतानों को सीधे लाभार्थी के खाते में ऑनलाइन भुगतान किया जाना है। अत: रेमिटेन्स के सभी विभागों, खाद्य एवं रसद विभाग तथा पी.एल.ए. के भुगतानों में ई-पेमेण्ट की व्यवस्था लागू किया जाना प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावित व्यवस्था हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी :-

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(i) सी.सी.एल., डी.सी.एल., खाद्य एवं रसद विभाग तथा पी.एल.ए. के प्रकरणों में भुगतानों की स्वीकृति वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही दी जायेगी। इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(ii) स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा सी0सी0एल0/डी0सी0एल0, खाद्य एवं रसद विभाग के चेक वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार भुगतान हेतु सीधे सम्बन्धित को प्रेषित नहीं किये जायेंगे, अपितु भुगतान स्वीकृति की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त निर्धारित संलग्न प्रारूप पर सूचना कोषागार को इस आशय से उपलब्ध करायी जायेगी कि कोषागार इस सूचना के आधार पर सीधे लाभार्थी के खाते में उसी प्रकार धनराशि का स्थानान्तरण कर दें जिस प्रकार वे वर्तमान में कोषागारों में प्रस्तुत बिलों हेतु कर रहे हैं।

(iii) उपरोक्त प्रपत्र पर सूचना कोषागारों में उसी प्रकार उपलब्ध करायी जायेगी जिस प्रकार अन्य विभाग अपने बिल कोषागार में प्रस्तुत करते हैं।

(iv) संलग्न प्रारूप प्राप्त होने पर कोषागारों द्वारा अन्य बिलों की भाँति यहाँ भी टोकन नं0 निर्गत किया जायेगा।

(v) ई-पेमेण्ट में बेनीफिसियरी एवं ट्रांजेक्शन फाइल को अपलोड किये जाने हेतु अपलोडर एवं एप्रूवल की आवश्यकता होती है जिसके लिए इन विभागों को अन्य आहरण-वितरण अधिकारियों की भाँति ही अलग से बैंकों द्वारा अपलोडर एवं एप्रूवल का लॉगिन एवं पासवर्ड दिया जायेगा। अपलोडर एवं एप्रूवल द्वारा बेनीफिसियरी एवं ट्रांजेक्सन फाइल अपलोड किये जाने पर कोषागारों द्वारा अॅथराइज धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में स्थानान्तरित हो जायेगी।

(vi) परिवर्तित व्यवस्था में रेमिटेन्स विभाग के वित्त नियंत्रकों द्वारा कोषागारों को सी.सी.एल. निर्गत की जायेगी जिसे कोषागारों द्वारा पूर्व की भाँति सेण्ट्रल सर्वर पर फीड कर लिया जायेगा, परन्तु कोषागारों द्वारा बैंक को सी.सी.एल. सूचित करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि भुगतान इलेक्ट्रानिकली लाभार्थी के खाते में स्थानान्तरित होगा।

(vii) कोषागार पैकेज में यह व्यवस्था की जायेगी कि सी.सी.एल., डी.सी.एल., खाद्य तथा रसद एवं पी.एल.ए. के भुगतानों में खाते में उपलब्ध धनराशि के अन्तर्गत ही भुगतान सुनिश्चित हो एवं जैसे ही बैलेन्स से ज्यादा कोई बिल पास किया जाय तो पैकेज द्वारा स्वत: उस पर रोक लगायी जायेगी। वित्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नियंत्रक, खाद्य एवं रसद विभाग बजट आवंटन की सूचना सेण्ट्रल सर्वर के माध्यम से अन्य आवंटनों की भाँति कोषागारों को प्रेषित करेंगे।

(viii) चूंकि भुगतान की स्वीकृति आदि पूर्ववत् सम्बन्धित विभाग द्वारा ही की जायेगी, अत: इस हेतु सम्बन्धित विभाग ही उत्तरदायी होंगे। कोषागार का दायित्व केवल विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार धनराशि को सम्बन्धित के बैंक खाते में स्थानान्तरण किये जाने तक एवं लेखाशीर्ष के परीक्षण तक एवं खाते में उपलब्ध धनराशि की सीमा तक ही भुगतान किये जाने तक सीमित रहेगा।

(ix) सी0सी0एल0 एवं डी0सी0एल0 से सम्बन्धित रेमिटेन्स विभाग एवं खाद्य तथा रसद विभाग पूर्व की भाँति अपने विस्तृत लेखे सम्बन्धित अभिलेखों के साथ महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराते रहेंगे।

(**x**) रेमिटेन्स विभागों, खाद्य एवं रसद विभाग तथा पी.एल.ए. में उपरोक्तानुसार ई-पेमेण्ट द्वारा भुगतान की व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रथमत: फैजाबाद कोषागार में 01 सितम्बर, 2016 से लागू की जायेगी तथा इस प्रकार ई-पेमेण्ट लागू होने के उपरान्त पूर्व में प्रचलित चेक निर्गत कर भुगतान किये जाने की प्रक्रिया समाप्त हो जायेगी तथा कोषागार द्वारा चेक के स्थान पर संलग्न भुगतान प्रपत्र महालेखाकार को अपने लेखों के साथ प्रेषित किया जायेगा।

संलग्नक - यथोपरि।

भवदीय,
राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव।

संख्या-9/2016/ए-1-651(1)/दस-2016-10(51)/2015, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(3) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त विभाग के समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,
राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

साख-सीमा/पी0एल0ए0/खाद्य एवं रसद भुगतान प्रपत्र

देयक क्रमांक : .....दिनांक :.....

विभाग का नाम :.....खण्ड कोड/पी0एल0ए0 :.....टोकन नं0 :.....
(सी.सी.एल./डी.सी.एल.) कोड

कार्यालय का पूरा नाम :.....

वाउचर संख्या :.....वाउचर तिथि :.....

अनुदान संख्या:.....प्लान/नानप्लान:.....

बजट प्राविधान का लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड) :.....

कुल धनराशि (शब्दों में):.....(अंकों में):.....जिसमें

स्टेट बैंक की धनराशि :.....अन्य बैंक की धनराशि:.....ड्राफ्ट की

धनराशि:.....भुगतान रूपये :.....के अन्तर्गत।

(आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर)

(कोषाधिकारी के हस्ताक्षर)

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।